न्यायालय तहसीलदार बाडी (धौलपुर) राज0

मु0नं0 88 / 2018

निर्णय दिनांक 19 / 02 / 2018

उनवान :— सरकार बनाम मुकेश

आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का सलैमाबाद ने इस आशय के साथ रिपोर्ट पेश की है कि आराजी खसरा नंबर 693 / 496 रकवा 15 विश्वा किस्म चारागाह वाके ग्राम आदमपुर पर श्री. मुकेश पुत्र कन्हैया जाति लोधा निवासी आदमपुर तहसील बाडी ने सम्वत 2074 रबी में फसल बेजर कर अतिक्रमण किया है। दर्ज रजिस्टर पर अतिक्रमी को नियमानुसार अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया अतिक्रमी उपस्थित आया।

पटवारी हल्का ने उपस्थित होकर अतिक्रमण होना बताया।

अतिक्रमी मुकेश पुत्र कन्हैया जाति लोधा निवासी आदमपुर ने पूर्व दिनांक 12.02.2018 को गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जबाव में संलग्न फोटो, प्रति दस्जावेज अनुसार माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेशिका दिनांक 19.05.2015 में विवादित आराजी के मौके व रिकार्ड की मौजूद स्थिति को उभय पक्ष यथावत कायम रखेमें के आदेश है। उपरोक्त आदेश के बावजूद गैर सायल ने आ.ख.नं. 693 / 496 पर नाजायज कब्जा करके संवत 2074 फसल रबी में अतिक्रमण किया, जिसकी पटवारी हल्का, भू0अभि0निरीक्षक ने भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर. एक्ट की रिपोर्ट प्रस्तुत की उपलबध रिकार्ड से स्पष्ट है कि गैरसायल द्वारा ही माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा जारी स्थगन आदेश का उल्लंघन किया है। अतः गैर सायलान को बेदखल कर लगान का 50 गुना शास्ती राशि 169.00 (शब्देन एक सौ उनहत्तर) पेनल्टी आरोपित कर तथा फसल नीलामी कार्यवाही हेतु पटवारी हल्का एवं भू. अभि. नि. को लिखा जावे। T.R.A. को मताबला कायम कराया जावे। इजराय पत्रावली पृथक से संधारित की जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

फैसला आज दिनांक 19.02.2018 को खुले इजलास पढ़कर सुनाया गया।

मांग राशि 169 — का अकन 4 —
पंजिका के पृष्ठ क्रमांक ....
की क्रम संख्या ... पर किया गया है।
दिनांक 21/2/18

तहसीलदार
बाडी
तहसील बाडी (धौलपुर) राज.